रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30102023-249781 SG-DL-E-30102023-249781

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 2023/कार्तिक 8, 1945 [रा.रा.र No. 328] DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2023/KARTIKA 8, 1945 [N. C.

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 275

[N. C. T. D. No. 275

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2023

फा. सं. 1/आईटीआई(2)/भर्ती नियम/2019/2319.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 07.11.1990 की अधिसूचना संख्या फा0 21/58/90—प्रशि 0/प्रशा0/23175 द्वारा अधिसूचित क्राफ्ट अनुदेशक (आशुलिपि) के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में तथा साथ ही इस सरकार की दिनांक 03.03.1994 की अधिसूचना सं0फा021/58/90—प्रशि0/प्रशा0 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व सहमति से,एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन प्रशिक्षण विंग में क्राफ्ट अनुदेशक [आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी/हिंदी)]के पद की भर्ती पद्धित के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को क्राफ्ट अनुदेशक [आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी / हिंदी)] भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

6860 DG/2023 (1)

- (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :— उक्त पदों की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- **4. अयोग्यता** :--वह व्यक्ति.
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

अथवा

(ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है,

वह उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव:— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
क्राफ्ट अनुदेशक [आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी / हिंदी)]	20' (2023) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। अभ्युक्ति :(अंग्रेजी—12; हिंदी—8)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'	6 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (रुपये 35,400—1,12,400 / —)	लागू नहीं	21—30 वर्ष तक (केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप:— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ

			सेवा	चयन	बोर्ड
			द्वारा	यथाविइ	ज्ञापित
			होगी।		

7	8	9	10
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा	क्या सीधी भर्ती		भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती
अन्य योग्यता ।	वाले उम्मीदवारों	अवधि, यदि	द्वारा या पदोन्नति द्वारा या
	के लिए निर्धारित	कोई है	प्रतिनियुक्ति / समावेशन
	शैक्षिक योग्यता		द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों
	एवं आयु सीमा		से भरे जाने वाले रिक्त पदों
	पदोन्नति वाले		का प्रतिशत
	उम्मीदवारों पर भी		
	लागू होगी।		
अनिवार्य योग्यता :	आयु : लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा	शैक्षिक योग्यता :	टीप:-परिवीक्षा	
संस्थान से कार्यालय प्रबंधन तथा सचिवीय	लागू नहीं	पूर्ण करने के	
अभ्यास अथवा सचिवीय अभ्यास अथवा		लिए दो	वर्ष या अधिक अवधि के
वाणिज्यिक अभ्यास में स्नातक उपाधि एवं अपेक्षित		सप्ताह का	लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने
योग्यता अर्जित करने के पश्चात्		प्रेरण प्रशिक्षण	या लम्बी रूग्णता या
आशुलिपि / सचिवीय सहायक के क्षेत्र में एक वर्ष		सफलतापूर्वक	अध्ययन अवकाश या अन्य
का अनुभव ।		अवश्य पूरा	परिस्थितियों के कारण हुई
अथवा		किया जाना	रिक्तियां केन्द्रीय
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान		चाहिए।	सरकार / राज्य
से कार्यालय प्रबंधन या सचिवीय अभ्यास अथवा			सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के
वाणिज्यिक अभ्यास में तीन वर्ष का डिप्लोमा एवं			अधिकारियों में से
अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के पश्चात्			प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी
आशुलिपि / सचिवीय सहायक के क्षेत्र में दो वर्ष			जा सकेंगी :
का अनुभव ।			(क) मूल संवर्ग / विभाग में
अथवा			नियमित आधार पर समरूप
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपिक तथा			पदधारी।
सचिवीय सहायक (अंग्रेजी / हिंदी) ख्जो पहले			तथा
आशुलिपि (अंग्रेजी) / आशुलिपि (हिंदी) के नाम से			(ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित
जाने जाते थे,ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण–पत्र (एनटीसी) अथवा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण–पत्र			सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव
(एनएसी) एवं अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के			रखने वाले।
पश्चात् आशुलिपि / सचिवीय सहायक के क्षेत्र में			(प्रतिनियुक्ति की अवधि में
तीन वर्ष का अनुभव।			केन्द्र सरकार के उसी
(ii) कौशल परीक्षा मानदंड :			या किसी अन्य
डिक्टेशन : अंग्रेजी अथवा हिंदी में 100 शब्द प्रति			संगठन / विभाग में इस
मिनट की दर से 10 मिनट।			नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित
कंप्यूटर पर प्रतिलेखन : 40 मिनट (अंग्रेजी के			किसी अन्य गैर संवर्ग पद में
लिए) तथा ५५ मिनट (हिंदी के लिए)।			प्रतिनियुक्ति की अवधि भी
(iii) कार्यालय प्रबंधन ट्रेड में राष्ट्रीय क्राफ्ट			सम्मिलित है, यह सामान्यतः
्र अनुदेशक प्रमाण–पत्र (एनसीआईसी) [आशुलिपिक			तीन वर्षों से अधिक नहीं
तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी) के लिए]			होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा
तथाप्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के अंतर्गत			नियुक्ति हेतु अधिकतम
आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (हिंदी) ट्रेड में			आयु– सीमा आवेदन प्राप्ति

प्रासंगिक राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक (एनसीआईसी) प्रमाण–पत्र।

टीप 1:—कुल पदों ख्क्राफ्ट अनुदेशक — आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी / हिंदी), का 50 प्रतिशत राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण–पत्र (एनटीसी) अथवा राष्ट्रीय प्रशिक्ष्ता प्रमाण–पत्र (एनएसी) जैसी व्यावसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा तथा 50 प्रतिशत उपयुक्त शाखा(शैक्षिक योग्यता में उल्लिखित) में उपाधि / डिप्लोमा जैसी व्यावसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। तथापि, राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक प्रमाण-पत्र (एनसीआईसी) ऐसे ट्रेडों में सभी उम्मीदवारों लिए के आवश्यक है जहाँ राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक प्रमाण-पत्र हेत् क्राफ्ट अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के अंतर्गत पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

टीप 2:—रिक्तियों का अभिप्राय उपाधि / डिप्लोमा धारकों के लिए, यदि क्राफ्ट अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक प्रमाण—पत्र (एनसीआईसी) के साथ उपाधि / डिप्लोमा रखने वाले प्रशिक्षित उम्मीदवार रिक्तियों

के बराबर उपलब्ध नहीं हैं अथवा ऐसी रिक्तियों के लिए बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, तो वह उपाधि/डिप्लोमा धारकों (गैर—सीआईटीएस/एनसीआईसी प्रशिक्षित) से भरी जाएँगी। बशर्तें कि उन्हें प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सरकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) में कम से कम 3 माह का नियमित प्रशिक्षण लेने के पश्चात् परिवीक्षा अविध के भीतर एनसीआईसी योग्यता अवश्य प्राप्त करनी होगा।

टीप 3:—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टीप 4:—यदि चयन की किसी अवस्था में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।)

11	12	13
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के
/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी	इसकी संरचना क्या है?	लिए संघ लोक सेवा आयोग
हो तो ग्रेड जिनसे		का परामर्श लिया जाना है।
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /		
समावेशन किया जाना है		
लागू नहीं	विभागीय स्थायीकरणसमिति	संघ लोक सेवा आयोग से
	1. वित्तीय आयुक्त, रा०रा०क्षे०दि०स० (अध्यक्ष)	परामर्श लिया जाना आवश्यक
	2. संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव,	नहीं है।
	रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य)	
	3. संबंधित विभागाध्यक्ष, रा०रा०क्षे०दि०स०	
	(सदस्य)	
	4. विशेष अथवा अपर सचिव, सामान्य प्र''ासन	
	विभाग, रा०रा०क्षे०दि०स० (सदस्य)	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, भूपेश चौधरी, निदेशक

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2023

- **F. No. 1/ITI(2)/RR/2019/2319.**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification Number GSR 840 dated the 13th July 1959, and in supersession of the recruitment rules for the post of Craft Instructor (Stenography) notified vide notification No. F.21/58/90-Trg./Admn./23175 dated 07.11.1990 and also in supersession of Notification of this Government, No. F.21/58/90-Trg./Admn. Dated 03.03.1994 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior concurrence of the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Craft Instructor [Stenographer and Secretarial Assistant (English/Hindi)] in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:
- **1. Short title and commencement:-** (i) These rules may be called the Craft Instructor [Stenographer and Secretarial Assistant (English/Hindi)] Recruitment Rules, 2023
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix: The number of posts, its classification and the
 Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached
 thereto
- **3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications:** No person,
 - (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. Power to relax:- Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.
- **6. Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Name of Post	Number of	Classification	Pay Level in	Whether	Age limits for Direct
	Posts		the Pay	Selection	Recruits.
			Matrix	Post/ Non-	
				Selection	
				post	
Craft Instructor	20* (2023)	General Central	6	Not	Twenty one years to
[Stenographer and	* Subject to	Service, Non	Remark:	Applicable	thirty years
Secretarial Assistant	variation	Ministerial Non-	Level-6		(Relaxable for Govt.
(English)/(Hindi)	dependent	Gazetted	(Rs. 35400-		servants upto five years
	on workload	Group, B	112400/-)		in accordance with
	Remark:		in the Pay		instructions or orders
	(English-12;		Matrix		issued by the Central
	Hindi-8)				Govt.)
					Note: The crucial date
					for determining the age
					limit shall be as
					advertised by the
					DSSSB.

7	8	9	10
Educational & other qualification required for	Whether age and	Period of	Method of recruitment
direct recruits.	educational	probation,	whether by direct recruitment
	qualification	if any.	or by promotion or by
	prescribed for		deputation/absorption and
	direct recruits will		percentage of the vacancies to
	apply in the case		be filled by various methods.
	of promotees.		
Essential Qualification:	Age: NA	2 years	Direct Recruitment
(i) Bachelors Degree in Office Management and	Edu. Qual: NA		Note: Vacancies caused by
Secretarial Practice or in Secretarial Practice or		Note:	the incumbent being away on
Commercial Practice from a recognized		Successful	deputation or long illness or
University or Institute with one year experience		completion	study leave or under other
in the field of Stenography/Secretarial Assistance		of	circumstances for a duration
after acquiring the requisite qualification;		induction	of one year or more may be
OR		training of	filled on deputation basis from
Three years Diploma in Office Management or		two weeks	officers of Central
Secretarial Practice or Commercial Practice from		is a must	Government / State
a recognized University or Institute with two		for	Government / Union
years experience in the field of		clearance	Territories:
Stenography/Secretarial Assistance after		of	A. Holding analogous post on
acquiring the requisite qualification;		probation.	regular basis in the Parent
OR			Cadre / Department;
National Trade Certificate (NTC) or National			And
Apprenticeship Certificate (NAC) in			B. Possessing educational
Stenographer and Secretarial Assistant (English/			qualifications and experience
Hindi) [previously known as Stenography			prescribed for Direct Recruits
(English) /Stenography (Hindi)] trade from a			under Column (7).
recognized Institution with Three years			(Period of deputation
experience in the field Stenography/Secretarial			including period of deputation
Assistance after acquiring the requisite			in another ex-cadre post held
qualification.			immediately preceding this

(ii) Skill Test Norms:

Dictation: 10 minutes at the rate of 100 words per minute in English or Hindi.

Transcription on computer: 40 minutes (for English) and 55 minutes (for Hindi)

(iii) National Craft Instructor Certificate (NCIC) in Office Management trade [for Stenographer and Secretarial Assistant (English)] and relevant NCIC for the trade of Stenographer and Secretarial Assistant (Hindi) under DGT.

Note 1: 50 percent of the total posts [Craft Instructor-Stenographer and Secretarial Assistant (English/Hindi)] will be filled up by the persons holding the professional qualification as National Trade Certificate (NTC) or National Apprenticeship Certificate (NAC) and 50 percent with the persons holding the professional qualification as Degree /Diploma in appropriate branch (as mentioned in EQs). However, NCIC is must for all the candidates in such trades where the courses under Craft Instructors Training Scheme (CITS) for NCIC are available.

Note 2: For the vacancies meant for Degree/Diploma holders, If the candidates possessing Degree/Diploma with National Craft Instructor Certificate (NCIC) under Craft Instructors Training Scheme (CITS) trained are not available equal to the vacancies or not available at all then such vacancies shall be filled with Degree/Diploma holders (Non-CITS/NCIC trained) subject to condition that they must acquire the NCIC qualification within probation period after undergoing at least 3 months of regular training in Government Institute of Training of Trainers (ITOT) in line with the Directorate General of Training (DGT), GOI Guidelines.

Note3: Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 4: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes, if at any stage of selection, the DSSSB/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications).

11	12	13
In case of Recruitment	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in which Union Public
by promotion /	what is its composition.	Service Commission is to be consulted
deputation /	_	in making recruitment.
absorption, grades		
from which promotion		
/ deputation /		
absorption to be made.		
Not applicable	Departmental confirmation Committee	Consultation with the Union Public

1.Financial Commissioner, Government of NCT	Service Commission is not necessary.
of Delhi (Chairman)	, and the second se
2. Administrative Secretary of the concerned	
Department, Government of NCT of Delhi	
-(Member)	
3. Head of Department Concerned, Government	
of NCT of Delhi (Member).	
4.Special or Additional Secretary GAD,	
Government of NCT of Delhi (Member)	,

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

BHUPESH CHAUDHARY, Director